

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर-231/2018

1. हनुमान पूनियां } पि० श्योदान जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला
2. जीतराम } हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. श्योदान पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं० 4 एम.एस.टी.एस.एम. रहित के खाता सं० 76/44 रकबा 11.818 है० अ०क० मे से प्रतिवादी श्योदान के नाम से दर्ज 1/6 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 4 एम.एस.टी.एस.एम. रहित के खाता सं० 76/44 में से प्रतिवादी श्योदान का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18-06-2019 को जारी
किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी